डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web: www.dfccil.gov.in

No. HQ/PIO/RTI/66/15 **Date: 20.03.2015**

Mrs. Brijesh Devi Sharma,
W/o Surender Sharma,
Near Gaurav Shiksha Sadan,
Nai Basti, Maina Mauzpur,
Khurja Junction,
Dist.-Bulandshahar,
U.P., Pin-203132.

Sub: Information under RTI Act- 2005.
Ref.: Your 1. application dt. 15.12.2014 and 2. Dt. NIL, received through Ministry of Railways in this office on 04.02.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है:—

1. राजस्व अभिलेखों के अनुसार, खसरा संख्या—305 स्थित ग्राम—मैनामौजपुर में आपके एवं आपके पति श्री सुरेन्द्र शर्मा का नाम अंकित नहीं है और न ही स्वामित्व के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है, इस कारण भूमि का प्रतिकर आपको देय नहीं है। इस संबंध में आपको सीपीएम/मेरठ कार्यालय के पत्र सं.—एमटीसी/ईएन/भूमि अधिग्रहण/बुलन्दशहर—IV दिनांक 23.01.2014 के द्वारा पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है (छायाप्रति संलग्न) संयुक्त सर्वेक्षण आख्या के अनुसार खसरा संख्या 305 की अर्जित भूमि पर अन्य लोगों के अतिरिक्त आपका भी दो मंजिला आवासीय भवन बना हुआ है जिसका मूल्यांकन मान्यता प्राप्त संस्था से कराया गया है जिसके द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन आख्या के अनुसार भवन का मूल्य रू. 8,83,500/— आया है जिसका अभिनिर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

2. कई राज्यों में फैले डीएफसी प्रोजेक्ट के आकार और पैमाने को ध्यान में रखते हुए आपको सूचित किया जाता है कि DFCCIL के लिए भूमि अधिग्रहण के एवज में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर निहितार्थ और जटिलताएं हैं जो एक मुददा है और जिसपर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

3. संयुक्त सर्वेक्षण आख्या व मूल्यांकन आख्या के अनुसार दो हैण्डपम्प आवास में स्थित नहीं है। आपके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2013 के कम में सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः स्थलीय जॉच करायी गयी दिनांक 05.04.2013 को जॉच के समय आप भी उपस्थित थीं। जॉच आख्या के अनुसार भी दो हैण्डपम्प नहीं पाये गये, केवल एक जामून, चार शहतूत, तीन अनार, एक करीपत्ता व एक नीबू का वृक्ष स्थित पाये गये जिनका मूल्यांकन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त होना अपेक्षित है। स्थलीय जॉच जिसपर आपके भी हस्ताक्षर हैं, की छायाप्रति संलग्न है। दो जीना का मूल्यांकन भवन के मूल्यांकन में सम्मिलित है।

4. आपके आवासीय दो मंजिला भवन का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा, तत्समय लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया गया है, जोकि नियमानुसार एवं उचित है।

5. आपके आवासीय ढॉचे का अभिनिर्णय दिनांक 09.06.2011 को किया गया है तथा प्रतिकर की धनराशि जमा है। आप नियमानुसार औपचारिकताएँ पूर्ण कर प्राप्त कर सकतीं हैं। प्रतिकर प्राप्त करने के लिए नोटिस दिये गये तथा समाचार पत्र के द्वारा भी जन सामान्य तथा सभी प्रभावित व्यक्तियों को सूचित किया गया है। आप द्वारा स्वंय प्रतिकर प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

6. प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण रेल संशोधन अधिनियम–2008 व राष्ट्रीय पुर्नवास व पुर्नस्थापन नीति 2007 पर आधारित मौलिक पात्रता दिनांक 13.06.2011 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया गया है।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to:-

1. Director/Planning(Spl.)/Rly. Board – In reference to Board's letter No. 2015/Infra/15/1 dt.02.02.2015. (RB/RTI/2014/01004792-9)
2. CPM/Meerut

प्रेषण DESPATCH 23/3